

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 165]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 28, 1974/आषाढ 7, 1896

No. 165]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 1974/ASADHA 7, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June 1974

G.S.R. 202(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1965 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Control) Order, 1957, namely:—

1. (i) This Order may be called the Fertiliser (Control) (Amendment) Order, 1974.
(ii) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In Schedule I to the Fertiliser (Control) Order, 1957, under the heading "A. Specifications of Fertilisers", against item (iii) of Serial No. 11 for the figures "3.0" the figures "3.5" shall be substituted.

[No. 10-11/74-MPR-STU]

KUMARI ANNA R. GEORGE, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 1974

सा० का० नि० 292(अ).—केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देता है, अर्थात्:—

1 (i) इस आदेश का नाम उर्वरक (नियंत्रण) संशोधन आदेश 1974 है।

(ii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1957 की अनुसूची 1 में 'क उर्वरकों' के विनिर्देश शीर्षक के नीचे क्रम सं० 11 की मद (iii) के सामने "3.0" अंकों के स्थान पर "3.5" अंक रखे जाएंगे।

[सं० 10-11/74-एम० पी० आर०-एस० टी० यू]

कुमारी अन्ना आर० जार्ज संयुक्त सचिव।